-प्रेस नोट-

जनपद-मीरजापुर

दिनांक-21.07.2021

मा0न्यायालय से वारण्ट जारी होने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष हाजिर न होने के कारण फरार होने की उद्घोषणा की कार्यवाही 82 सीआरपीसी के अन्तर्गत थाना को0 शहर पुलिस द्वारा की गई—

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरूद्ध जनपद में समय-समय पर अभियान चलाकर कार्यवाही करायी जाती है। इसके साथ ही पंजीकृत अभियोगों के सफल अभियोजन हेतु अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही भी करायी जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 21.07.2021 को वरिष्ठ उ0नि0 विनोद कुमार सिंह व उ0नि0 गिरीश चन्द्र गुप्ता द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-52/2004 धारा 302, 34 भादवि की विवेचना में मा0न्यायालय द्वारा उपस्थित होने का बार-बार आदेश दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर मुकदमें से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बच्चा उर्फ सुभाष पाण्डेय पुत्र विशम्भर नाथ पाण्डेय निवासी बभनहिया टोला थाना को0 शहर मीरजापुर के विरूद्ध मा0न्यायालय के आदेश से 82 जा0फौ0 की कार्यवाही करायी गयी। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ उ0नि0 विनोद कुमार सिंह व उ0नि0 गिरीश चन्द्र गुप्ता द्वारा मुनादी करा कर, सार्वजनिक स्थान व अभियुक्तगण के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया तथा आस-पास के लोगों को भी इस बारे में अवगत कराया गया। यदि उपरोक्त अभियुक्त मा0न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होते है तो शीघ्र ही इनके विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही की जायेगी।